Recommendations of high powered Committees for Development of North Eastern States

4585. SHR HIPHEI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether three high powered Ministerial Committees constituted for all round economic development of the seven North Eastern States, have submitted their reports;

(b) if so, the details of the recommendations made by these committees;

(c) whether some of these recommendations have since been implemented;

(d) if so, the details thereof;

(e) whether Government propose to take some measures to implement the remainng recommendations in the near future; and

(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): (a) A Committee under the Chairmanship of the Home Minister and including eight other Central Minister was constituted in January, 1994 to look into the problems of tribal communities in the North Eastern States. The Committee visited all the North Eastern States in three separate groups in June-July, 1994 and has since submitted its report.

The Committee has listed out some of the important fundamental issues that can assist the Government to chart out an appropriate remedial course of action to rectify the emotional barrier and isolation felt by the tribal people of the North East.

(c) to (f) The Ministries and Departments concerned of the Government have been requested to take immediate follow-up action on the recommendations of the Committee.

मुजफरनगर की दुर्घटनाओं के संबंध में एन० एच० आर०सी० को प्राप्त शिकायतें

4586. **श्री गोविन्दराम मिरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कथित बलात्कार इत्यादि के मामले मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मुजफ्फरनगर की घटनाओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थी ;

(ग) यदि हाँ, तो आयोग ने उन शिकायतों के प्राप्त होने के पश्चात् क्या कार्यवाही की थी ;

(घ) आयोग द्वारा किन-किन मुद्दों की जांच की गई थी और उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ङ) यदि नहीं, तो आयोग द्वारा शिकायतें प्राप्त होने के बावजूद घटनाओं की जांच न किए जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इन शिकायतों की जानकारी मिलते ही उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट मांगने के लिए नोटिस जारी किए थे । आयोग ने अपने अन्वेषण दिग को मुजफ्फरनगर, देहरादून और मंसूरी के आस पास के स्थानों का दौरा करने के लिए तैनात किया था और उसे कर्फ्यू आदि के दौरान लोगों को पुलिस द्वारा अवैद्य रूप से निरुद्ध रखे जाने, उत्पीड़ित किए जाने की शिकायतें मिली थी । तथापि इसी बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के उत्तराखंड से जुड़ी घटनाओं की जांच का